न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 27/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. किशनराम पुत्र लालू		केवलराम पुत्र हरलाल
2. रामसुख पुत्र लालू		जातियान–माली
3. भोपालराम पुत्र लालू		निवासीगण–बिकरलाई
4. तुलसाराम पुत्र लालू		तहसील–जैतारण, जिला–पाली राज0
5. हुकमाराम पुत्र लालू फौत के कायम मुकाम		
5/1 सुन्दरी पत्नि हुकमाराम		
5/2 महेन्द्रसिंह पुत्र हुकमाराम		
5/3 चुतराराम पुत्र हुकमाराम		
5/4 शारदा पुत्री हुकमाराम		
6. खीयाराम पुत्र हरलाल		
7. रतनलाल पुत्र हरलाल		
8. भैराराम पुत्र भंवरलाल		
9. तेजाराम पुत्र भंवरलाल		
10. ओगड़राम पुत्र भंवरलाल		
11. प्रकाश पुत्र भंवरलाल		
12. माधूराम पुत्र मंगाराम		
13. भीकाराम पुत्र मंगाराम		
14. चंदणाराम पुत्र मंगाराम		
15. उदाराम पुत्र मंगाराम जाति–माली, निवासी–बिकरलाई तहसील–जैतारण, जिला–पाली राज0		

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् रास्ता कायम करवाने अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.23/01/2018**

उपस्थितः. 1. श्री तुलसाराम माली, अधिवक्ता, प्रार्थी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 20/02/2018**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा–बिकरलाई पटवार हल्का रामावास कला मे प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन व कुआ खसरा नंबर 244, 247, 248, 257 कुल रकबा 70 बीघा 13 बिस्वा व 244/2, 247/2, 266, 269 रकबा 66 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नंबर 244/1, 247/1 रकबा 48 बीघा 13 बिस्वा कृषि भूमि आई हुई है एवं खसरा नंबर 245 कुआ व 246 आबादी ढाणी आई हुई है प्रार्थीगण के कुएं व रहवासी मकान व खातेदारी जमीन में जाने के

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

लिए राजस्व रेकर्ड में वर्णित रास्ता खसरा नंबर 228 से खसरा नंबर 266, 248, 247 में से होकर आते व जाते है मौके पर आम रास्ता वर्तमान में चालू हालत में है उक्त रास्ते से प्रार्थीगण अपनी जमीन व कुए व रहवासी मकान पर बिना किसी रोक टोक से ट्रेक्टर, छकड़ा, पशु आदि लाते व ले जाते है उक्त रास्ते का मौके का नजरी नक्शा बनाकर प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया जा रहा है। जिसको प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें उक्त रास्ता मौके पर 20 फुट चौड़ा है जो लाल रंग से मार्क ए. से बी. दर्शाया गया है। प्रार्थीगण के कुऐं पर जाने के लिए उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है उक्त रास्ते से प्रार्थीगण खाद, बीज फसल आदि लाते व ले जाते है उक्त रास्ता बाबत अप्रार्थी आये दिन विवाद करता रहता है उक्त रास्ता बाबत अप्रार्थी आये दिन विवाद करता रहता है उक्त रास्ता सेट्लमेंट के समय से चालू हालत में है सेट्लमेन्ट अधिकारियों की गलती से राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने से रह गया जो अब राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना जरूरी है। वर्तमान में जमीन की कीमतें बढने से रास्ते को अप्रार्थी के हिस्से में आई जमीन खसरा नंबर 248 में संकड़ा कर रहा है तथा कांटे डालकर बाधा उत्पन्न कर रहा है राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज (तरमीम) नहीं होने से अप्रार्थी रास्ते को बन्द करने की धमकिया देता है प्रार्थीगण के कुए पर जाने के लिए उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है उक्त रास्ता कदीमी है जो आज तक चालू हालत में है यदि अप्रार्थी रास्ते को बंद कर देता है तो प्रार्थीगण अपने कुऐं पर व जमीन व रहवासी मकान पर आने जाने से महरूम रह जायेंगे। इसलिए उक्त रास्ते को राजस्व रेकर्ड में तरमीम किया जाना जरूरी है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के कुए व जमीन व ढाणी खसरा नंबर 244, 247, 248, 257 कुल रकबा 70 बीघा 13 बिस्वा व 244/2, 247/2, 266, 269 रकबा 66 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नंबर 244/1, 247/1 रकबा 48 बीघा 13 बिस्वा कृषि भूमि आई है एवं खसरा नंबर 245 कुआ व 246 आबादी ढाणी आई हुई है। प्रार्थीगण के राजस्व रेकर्ड में वर्णित रास्ता खसरा नंबर 228 से खसरा नंबर 266, 248,247 में माठ के पास होते हुए 20 फुट चौड़ा रास्ता जो चालू है जो नजरी नक्शा में लाल रंग से बताया गया है जिसको राजस्व रेकर्ड में तरमीम कर दर्ज किया जाने का हुक्म फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। गै.सा. स्वंय उप.। वकील प्रार्थीगण एवं गै.सा. ने एक तहरीरी राजीनामा पेश किया कि गांव के मुख्यान व समाज के पंचगन द्वारा आपस में समझाईश से राजीनामा कर लिया हैं अप्रार्थी उपरोक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्ता खसरा नम्बर 228, 266, 248, 247, में 20 फीट चौड़ा रास्ता जो चालु हालत में हैं उसमे किसी प्रकार की दखलदांजी नही करेगा, प्रार्थना पत्र के साथ वर्णित नजरी नक्शा में दर्शाये लाल रंग से बताये गये रास्ते को मंजुर करता हुं तथा भविष्य में उसमें कोई बाधा उत्पन्न नही करेगा व न ही अवरूद्ध करेगा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करते रहेंगे। प्रार्थीगण से अप्रार्थी उक्त रास्ते के लिये चिन्हित की गयी भूमि के एवज में किसी प्रकार की कोई राशि प्राप्त करना नही चाहता हैं न ही भविष्य में प्राप्त करने हेतु उजर एतराज करेगा। प्रार्थना पत्र में वर्णित राजस्व रेकर्ड के खसरा नम्बर में मांठ के पास होते हुये 20 फीट चौड़ा रास्ता जो चालु हालत में हैं तथा नजरी नक्शा में लाल स्याही से बताया गया है जिसको राजस्व रेकर्ड में तरमीम कर दिया जावें तो अप्रार्थी को कोई ऐतराज नही हैं अप्रार्थी इसके लिये राजीनामा प्रस्तुत कर रहा हैं। बाद जांच राजीनामा पृथक से तस्दीक कर सा. मि. किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

कृषकों के रास्ते के सुखाधिकार का और विस्तार करते हुए ही धारा 2015 काश्तकारी अधिनियम 1955 में 251 क का संशोधन किया गया हैं जिसकी उपधारा (1) के (ख) के अनुसार –

" (ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता या किसी विद्यमान को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता हैं, तो एक अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे "

उक्त धारा के प्रावधानानुसार संक्षिप्त जांच पश्चात् वैकल्पिक मार्ग नही होने की स्थिति में अन्य खातेदार की भूमि में होकर एक नया मार्ग बनाने की मंजूरी विहित रीति से अवधारित किये गये प्रतिकर के संदाय पर अनुज्ञान किया जा सकेगा।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात एवं मय नजरी नक्शा एवं राजीनामा का गहनता से अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः अप्रार्थी ने राजीनामा में जाहिर किया हैं कि प्रार्थीगण से अप्रार्थी उक्त रास्ते के लिये चिन्हित की गयी भूमि के एवज में किसी प्रकार की कोई राशि प्राप्त करना नही चाहता हैं न ही भविष्य में प्राप्त करने हेतु उजर एतराज करेगा। माफिक राजीनामा एवं नजरी नक्शा अनुसार प्रार्थीगण की आबादी ढ़ाणी खसरा नम्बर 245 कुआ व 246 आबादी ढ़ाणी में आने जाने हेतु अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 228, 266, 248, 247 में से 20 फीट चौड़ा सार्वजनिक रास्ता कायम कर मौके एवं राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पत्थरगढ़ी / नेखमबन्दी करवाया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र माफिक राजीनामा एवं नजरी नक्शा अनुसार स्वीकार किया जाता हैं। सरहद मौजा–बिकरलाई पटवार हल्का रामावास कला मे प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन व कुआ खसरा नंबर 244, 247, 248, 257 कुल रकबा 70 बीघा 13 बिस्वा व 244/2, 247/2, 266, 269 रकबा 66 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नंबर 244/1, 247/1 रकबा 48 बीघा 13 बिस्वा कृषि भूमि आई हुई है एवं खसरा नंबर 245 कुआ व 246 आबादी ढाणी आई हुई है प्रार्थीगण के कुएं व रहवासी मकान व खातेदारी जमीन में जाने के लिए राजस्व रेकर्ड में वर्णित रास्ता खसरा नंबर 228 से खसरा नंबर 266, 248, 247 में से 20 फीट चौड़ा सार्वजनिक रास्ता कायम करने के आदेश दिए जाते हैं। राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पत्थरगढ़ी / नेखमबन्दी करवाई जावें। तहसीलदार, जैतारण को निर्णय मय नजरी नक्शा की प्रति भेजी जाकर पालना हेतु लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 20/02/2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner